मदरसों में दाखिले की न्यूनतम उम्र तय करने के लिये राज्य सरकार बनाएगी समिति

चर्चा में क्यों?

16 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने बताया कि राज्य के मदरसों में दाखिले के लिये न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करने को लेकर एक समिति बनाई जाएगी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आयु निर्धारण संबंधी निर्णय लिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने बताया कि राज्य सरकार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड **(CBSE)** और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन **(CISCE)** समेत विभिन्न शिक्षा परिषदों की तर्ज़ पर राज्य के मदरसों में भी दाखिले के लिये न्यूनतम आयु सीमा तय करेगी।
- इसी के साथ उन्होंने छात्रों की अधिकतम आयु सीमा तय करने पर विचार किये जाने की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मदरसों में दाखिले के लिये अधिकतम उम्र तय करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।
- प्रदेश के मदरसा शिक्षकों के संगठन 'टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश' के महासचिव दीवान साहब जमां खाँ ने बताया कि राज्य के मदरसों में कक्षा एक में प्रवेश के लिये छात्रों की न्यूनतम आयु पाँच साल और कक्षा 10 में दाखिले के लिये न्यूनतम आयु 14 साल पहले से ही निर्धारित है।
- उत्तर प्रदेश में 16,461 मदरसे हैं, जिनमें से 560 को सरकारी अनुदान प्राप्त होता है। अनुदान के अंतर्गत मदरसों के शिक्षकों और गैर-शिक्षणकर्मियों को वेतन-भत्ते का भुगतान किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि मई 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से पेश किये गए प्रस्ताव पर यह फैसला लिया गया कि राज्य में अब नए मदरसों को सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/minimum-age-for-admission-in-madrassas